सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग, हरियाणा बेज संख्या 53–54, सैक्टर–2, पंचकुला

विज्ञापन

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति – 2022–23, 2023–24 व 2024–25

जिन छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022–23, 2023–24 व 2024–25 के लिए हर–छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किये गए थे, उनमें से कुछ छात्रों के आवेदनों को किसी कारणवश सैण्ड बैक (दस्तावेजों की कमी या वेरीफीकेशन ना होने के कारण) किया गया। जिसके कारण उनकी छात्रवृति लम्बित है। भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशानुसार इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में दर्शाये गए निर्धारित समयावधि तक पोर्टल पर अपने दस्तावेजों की कमियां दूर करते हुए सम्बधित संस्थान/विभाग में सम्पर्क करें ताकि आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।

शैक्षणिक सत्र	**निर्धारित समयावधि**
2022-23	27 अक्तूबर 2025
2023-24	15 नवम्बर 2025
2024-25	15 दिसम्बर 2025

यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2022–23, 2023–24 व 2024–25 की किसी भी लम्बित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निदेशक
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां
एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंतोदय विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।